न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– मूल चन्द आर.ए.एस.

अपील संख्या 2016/00290 (224/2016) 223 आरटीएक्ट

सुखराम पुत्र नन्दराम जाति जाट निवासी रामबास तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

–अपीलाण्ट

बनाम

1. चिमनाराम पुत्र. श्री नंदराम जाति जाट निवासी रामबास तहसील भादरा जिला हनुमानगढ (फौत)
   1/1 दर्शना
   1/2 सुरेश कुमार } पुत्र पुत्रियां चिमनाराम जाति जाट निवासी रामबास
   1/3 मनोज कुमार } तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
2. अमरसिह } पिसरान नंदराम जाति जाट निवासी रामबास तहसील भादरा
3. कुम्भाराम } जिला हनुमानगढ
4. सोहनलाल पुत्र सुरेश कुमार आयु 8 वर्ष नाबालिग जरिये वली कुदरती नाना महावीर प्रसाद पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी गुजासरी तहसील भादारा जिला हनुमानगढ।
5. परमेश्वरी पत्नी किशनाराम जाति जाट निवासी रामबास तहसील भादरा।
6. सुल्तानसिंह
7. हनुमानसिंह } पुत्रान किशनाराम जाति जाट निवासी रामबास तहसील भादरा
8. पप्पूसिंह } जिला हनुमानगढ।
9. मनीराम
10. गीता } पुत्रियां किशनाराम जाति जाट निवासी रामबास तहसील भादरा
11. सन्तोष } जिला हनुमानगढ
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा जिला हनुमानगढ

–रेस्पोडेण्ट्

विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 07.09.2016 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भादरा प्रकरण संख्या 126/2015 बअनवानी चिमनाराम बनाम अमरसिंह

उपस्थितः–
श्री विजय कौशिक अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री विजयसिंह कड़वासरा अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट
श्री मांगेराम गोदारा राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 10

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय दिनांकः—29.04.2019

1. सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 1/1 ता 1/3 ने एक अर्जी दावा खाता तकसीम व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया। अर्जी दावा की मद 2 में वर्णित बंटवारा नामा व कब्जा काश्त के अनुसार भूमि का खाता विभाजन करवाये जाने का अनुतोष मांगा। विचारण न्यायालय ने मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दावा डिक्री किया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।
2. उभयपपक्ष अभिभाषक गण की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो विभाजन प्रस्ताव भिजवाया गया वह हल्का पटवारी द्वारा अपीलाण्ट की गैर मौजूदगी में भिजवाया गया था एवं अपीलाण्ट द्वारा आपत्तियाँ प्रस्तुत की थी, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने प्रावधानों के विपरीत अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अपीलाण्ट को खसरा नं. 78/1 की 0.620 है. व खसरा नं. 93/1 की 2.307 है. भूमि दी गई है जो चिमनाराम के कब्जे में थी जबकि पत्रावली पर निर्णय दिनांक 22.11.2006 फर्द कुड़की दिनांक 27.06.2011 से यह सिद्ध होता था कि चिमनाराम के हिस्से की खसरा नं. 78 व 93 में से उत्तरी पश्चिमी कौने पर 1.775 है. भूमि को कुर्क किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय ने यथासंभव कब्जा होने को दृष्टिगत रख नियम 18 से 21 की पालना नहीं की। दिनांक 01.07.2016 को पक्षकारान की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने का आदेश था। उसकी भी पालना किये बिना अपीलाधीन निर्णय विधि विरूद्ध पारित किया होने अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर प्रकरण रिमाण्ड किये जाने का अनुतोष चाहा। अपने कथनों के समर्थन में आरबीजे 2018 पेज 676, आरआरटी 2017 पेज 689 के न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये।
4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय विधि सम्मत है। अधीनस्थ न्यायालय ने कैम्प कोर्ट में प्राथमिक डिक्री जारी की यदि अपीलाण्ट का कब्जा विशिष्ट भू भाग पर था तो अपीलाण्ट को प्रतिदावा प्रस्तुत करना चाहिए था। अन्य सभी सह खातेदार अपीलाधीन निर्णय से पूर्णतः सहमत हैं। मौका पर कब्जा अनुसार तहसीलदार की मौजूदगी में पक्षकारान को सुनकर विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने नियम 18 से 21 की पालना करते हुए निर्णय पारित किया है। अपीलाण्ट ने मात्र देरी करने के उद्देश्य से यह अपील प्रस्तुत की है, जो खारिज की जावे।
5. विद्वान राजकीय अधिवक्ता अपनी बहस में कथन किया कि विधि अनुसार निर्णय पारित किया जावे।
6. उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।
7. अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 02.06.2016 को दावा प्राथमिक डिक्री किया जाकर मौका कमिश्नर नियुक्त करते हुए प्रश्नगत भूमि में अच्छी मंदी के हिसाब से रास्ता

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आदि दर्ज कर उभयपक्षकारान की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार करने का आदेश दिया गया है। तत्पश्चात् दिनांक 01.07.2016 को पुनः तहसीलदार राजस्व भादरा को स्वयं को मौका पर जाकर समस्त पक्षकारान की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार करने का आदेश दिया गया है। उस आदेश की पालना में दिनाक 28.06.2016 को हल्का पटवारी द्वारा तैयार किया गया है। उस विभाजन प्रस्ताव को मूल ही तहसीलदार द्वारा दिनांक 29.06.2016 को विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया है। तत्पश्चात् दिनांक 29.08.2016 को वकील प्रतिवादी द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई। उसके पश्चात् कोई भी विभाजन प्रस्ताव नहीं मंगवाया गया बल्कि 02.08.2016 को एक अन्य विभाजन प्रस्ताव जो हल्का पटवारी द्वारा तैयार किया हुंआ है जिसे मूल ही तहसीलदार भादरा द्वारा दिनांक 08.08.2016 को उपखण्ड अधिकारी भादरा को अग्रेषित किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि अपीलाण्ट द्वारा जो आपत्तियॉ प्रस्तुत की गई थी उसका निस्तारण विचारण न्यायालय ने नहीं किया, ना ही उसके द्वारा प्रश्नगत भूमि के रिसीवर से सम्बन्धित जो दस्तावेज विभाजन प्रस्ताव पर प्रस्तुत आपत्ति के साथ प्रस्तुत किये हैं उस पर कोई गौर अपीलाधीन निर्णय में किया है जबकि आरआरटी 2017 पेज 689 में राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 आज्ञापक प्रकृति के मानते हुए तहसीलदार स्वयं को मौका निरीक्षण करना तथा प्रस्ताव तैयार करना आवश्यक माना गया है। इसी प्रकार 2018 आरबीजे पेज 676 में तहसीलदार स्वयं द्वारा मौका पर ना जाकर हल्का पटवारी व नायब तहसीलदार द्वारा तैयार किये प्रस्ताव पर पारित अंतिम डिक्री को गैर कानूनी माना गया है। मौजूदा प्रकरण में भी तहसीलदार भादरा को मोका कमिश्नर नियुक्त किया गया है, परन्तु उनके द्वारा हल्का पटवारी द्वारा ही तैयार किये गये प्रस्ताव को अग्रेषित किया है, जो विधि सम्मत प्रतीत नहीं होता है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार योग्य है।

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील स्वीकार की जाती है एवं उपाखण्ड अधिकारी भादरा का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.09.2016 अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रेतिप्रेषित किया जाता है कि वह राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए पक्षकरान द्वारा दी गई आपत्तियो का निस्तारण करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 04.06.2019 को उपस्थित हों। अधिनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.04.2019 मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

29/4/19

(मूल चन्द आरएएस)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official